न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-- /2014/निगरानी निग 1822-III-14

1. बृम्हानन्द पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राम्हण
2. लखनलाल पुत्र श्री रामस्वरूप ब्राम्हण

निवासीगण-ग्राम जरिया कला परगना पोहरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

----*आवेदकगण*

बनाम

1. कैलाश नारायण पुत्र छोटू
2. सुशील पत्नी कैलाशनारायण

निवासीगण-ग्राम जरिया कला परगना पोहरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म0प्र0)

----*अनावेदकगण*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक 1448 / तीन / 2014 जिला

कार्यवाही तथा आदेश

26.6.14

यह निगरानी तहसीलदार बैराढ जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 5 / 13-14 / अ-6 अ में पारित आदेश दिनांक 19-3-14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 19-6-14 को प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-3-14 के अवलोकन पर पाया गया कि यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19-6-14 को प्रस्तुत की है जबकि संहिता में किये गये संशोधन कमांक 42 सन् 2011 - म0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित अनुसार इस हेतु केवल 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। इस प्रकार निगरानी 91 दिवस बाद प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदकगण ने दिनाक 21.4.14 को आवेदन दिया है एंव 29-4-14 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है। इस प्रकार 91 में से 9 दिवस कम करने पर 82 दिवस विलम्ब से अर्थात 60 दिवस की निर्धारित समयावधि से 22 दिवस विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है एव इस विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान के अंतर्गत आवेदन नहीं दिया गया है एंव न ही शपथ पत्र दिया गया है।

1 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 47 अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

निगरानी क्रमांक **1448 / तीन / 2014**

? म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया – अनुचित विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करना पाये जाने एवं विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करे।

सदस्य